

Diary no 4788 /Appr

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग Date.....27/7/11

अधिसूचना

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4197/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री ब्रजेश कुमार गौतम, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जामताड़ा) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-827, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4198/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, चाईबासा) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-834, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4199/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री कुमार कमल, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, धनबाद) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-835, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4200/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री प्रदीप कुमार, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, गढ़वा) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-836, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4201/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री आशिष सक्सेना, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, गुमला) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4588, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4202/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री रघुवर दयाल, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जमशेदपुर) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4589, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4203/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री अजीत कुमार, नं0-1, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, बोकारो) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4590, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4204/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री संदीप शर्मा, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जमशेदपुर) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4591, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

S.9. Appr.

27/7/11

JSR

Kod

Pur

chari

Bex me

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²⁰⁵...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री आशुतोष दुबे, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिमडेगा) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4592, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²⁰⁶...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री राजेश कुमार पाण्डेय, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हजारीबाग) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4595, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²⁰⁷...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री रामवचन सिंह, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4596, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²⁰⁸...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री प्रदीप कुमार चौबे, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, धनबाद) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4599, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²⁰⁹...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री सचीन्द्र कुमार पाण्डेय, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, डाल्टनगंज) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4601, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²¹⁰...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री सुनील कुमार सिंह (नं0-1), (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, धनबाद) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4602, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²¹¹...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री रामबाबू गुप्ता, (अपर न्यायायुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राँची) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-829, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²¹²...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री रिजवान अहमद, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, गुमला) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-830, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-⁴²¹³...../झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री संजय कुमार चन्धारी यावी, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, धनबाद) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-831, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-³4214/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्रीमती बबीता प्रसाद, (अपर न्यायायुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राँची) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-833, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4215/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री दीपक नाथ तिवारी, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, गिरिडीह) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4594, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4216/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री महेश चन्द्र वर्मा, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बेरमो, तेनुघाट, बोकारो) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4598, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4217/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री नलीन कुमार, (अपर न्यायायुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राँची) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4593, दिनांक 12.08.2002 को निरस्त किया जाता है।

संख्या-6/स्था0वाद-005/2009 का.-4218/झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त श्री आलोक कुमार दुबे, (अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, दुमका) के नियुक्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-828, दिनांक 02.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने विभागीय वाद, डब्लू0पी0(एस0) संख्या-2872/2009 में दिनांक 07.03.2011 को पारित न्यायादेश में उपर्युक्त न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति को against the law मानते हुए याचिका के प्रतिवादी संख्या-5 से 26 तक में नामित पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना को निरस्त कर दिये जाने का आदेश पारित किया है।


3. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 07.03.2011 में यह भी आदेशित है कि राज्य में त्वरित न्यायालयों की अवधि दिनांक 31.03.2011 को समाप्त हो गई है, फलतः उक्त वाद के प्रतिवादी संख्या-5 से 26 (यथा ऊपर उल्लेखित) की सेवाएँ भी दिनांक 31.03.2011 को समाप्त हो जायेगी। अतः उक्त न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना निर्गत की जा रही है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(सुमन कुमार) 26.01.11

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6 / स्था0वाद-005 / 2009 का.- 4218 / राँची, दिनांक 26 जुलाई, 2011
 प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट
 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


 26.07.11
 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6 / स्था0वाद-005 / 2009 का.- 4218 / राँची, दिनांक 26 जुलाई, 2011
 प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल के प्रधान सचिव,
 झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य
 सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग,
 झारखण्ड राँची के सचिव/सचिव, विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची/महानिबन्धक,
 झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/सभी
 विभाग/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त, झारखण्ड/सभी
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी
 सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 26.07.11
 सरकार के उप सचिव।